

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99,पार्ट

जयपुर दिनांक 24/1/2019

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर में कार्यरत अतिरिक्त महाधिवक्तागण को इस विभाग के पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 07.01.19 व 11.01.19 द्वारा विभागों का आवंटन किया गया था। इस विभाग के उक्त आदेश की निरन्तरता में निम्नांकित अतिरिक्त महाधिवक्तागण को निम्नानुसार अतिरिक्त विभाग आवंटित किये जाते हैं:-

S.No.	Name of AAG	Departments
1.	Major R.P. Singh	1. Administrative Reforms Department 2. Law & Justice Department
2.	Shri Chiranji Lal Saini	Sports, Youth Affairs

नोट:-

1. उक्त विभाग आवंटन के अतिरिक्त विधि एवं विधिक कार्य विभाग संबंधित प्रशासनिक विभाग की सकारण प्रार्थना पर अथवा अपने स्वविवेक से कोई भी प्रकरण किसी भी अतिरिक्त महाधिवक्ता को आवंटित कर सकेगा।
2. उक्त आवंटित विभागों में से किसी भी विभाग का परिवर्तन/परिवर्द्धन महाधिवक्ता से विचार-विमर्श/सलाह से विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा।
3. पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्तागण इस आदेश से पूर्व के आवंटित प्रकरणों की सम्पूर्ण पत्रावलीयां इस आदेश में वर्णित विभाग-आवंटनानुसार संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता को यथाशीघ्र सुपुर्द करेंगे। जिन्हें वर्तमान अतिरिक्त महाधिवक्ता यथाशीघ्र उनसे प्राप्त करेंगे।
4. सभी अतिरिक्त महाधिवक्तागण/सभी प्रशासनिक विभाग प्रकरण आवंटन के संबंध में समय-समय पर विधि विभाग द्वारा जारी परिपत्रों व निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

—Eo

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
5. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. संबंधित अधिवक्ता।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
17. पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर।
18. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।


(चंचल मिश्रा)
24/11/2019

शासन सचिव, विधि